तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इंजिशिल्यस जज ऐवन कंवर बनाम ओमसिंह वगैरह, मुकदमा संख्या 256/2014	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख के जारी हुये
19.06.2024	पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा खारा में पुराना खसरा संख्या 242 रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा, नवीन खसरा संख्या 570 रकबा 5.59 हैक्टेयर का आया हुआ है उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का एवं अप्रार्थी संख्या 1 खेमसिंह का ही काश्त कब्जा है किन्तु अप्रार्थी संख्या 4 जालमसिंह ने प्रार्थीगण के दोनों भाई रिड़मलसिंह व वागसिंह को बहकाया गलत मुगालता देकर बिना प्रतिफल दिये दोनों भाईयों की शादी नहीं होने से काश्त दिमागी अस्वस्थ के चलते नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 4 जालमसिंह के प्रार्थीगण के भाईयों को बहला फुसलाकर दिनांक 26.10.2009 को ग्राम खारा से सांचौर लाये एवं न जाने कहां कहां अंगुष्ठ निशान करवा दिये, प्रार्थीयागण की पीठ पिछे अप्रार्थी संख्या 4 जालमसिंह ने अपने पक्ष में बेचान दस्तावेज करवा लिया, जिसकी जानकारी प्रार्थीयागण को कुछ दिन पूर्व हुई। अप्रार्थी संख्या 4 ने प्रार्थीयागण के दोनों भाईयों को दिमागी हालत का नाजायज फायदा उठाकर बेचान दस्तावेज प्रार्थीयागण की पैतृक संपति खेत खसरा संख्या 242 रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा, नवीन खसरासंख्या 570 रकबा 5.59 हैक्टेयर की बेचान रजिस्ट्री अपने पक्ष में करवा ली। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीयागण की पैतृक संपति है ऐसी सुरत में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीयागण के पक्ष में है तथा वादग्रस्त आराजी प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त की भूमि है ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयागण के पक्ष में है यदि अप्रार्थी संख्या 4 जालमसिंह को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका नहीं गया तो वह अपने नाम गलत एवं विधि विरूद्व करवाये बेचाननामा के आधार पर भूमि आगे से आगे बेचान कर देगा जिससे प्रार्थीयागण को अपूरणीय क्षति होगी, इस प्रकार तीनों मूलभूत कानुनी स्तंभ प्रार्थीयागण के पक्ष में होने से प्रार्थीयागण अस्थायी निषेधाज्ञा पाने की हकदार होने से प्रार्थीयागण के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की ओर से ईकबाली जवाब पेश किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 की ओर से घोर विरोध करते हुए अपने जवाब दावें में वर्णित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीयागण श्री तगसिंह से कोई रिश्ता या लेना देना नहीं है प्रार्थीयागण किशोरसिंह की पुत्रियां नहीं है तथा इनका किशोरसिंह या तगसिंह की संपति से कोई संबंध नहीं है तथा वादग्रस्त आराजी में कोई हक नहीं है प्रार्थीयागण ग्राम खारा की निवासी नहीं है। प्रार्थीयागण ने अप्रार्थी ओमसिंह व वागसिंह से मिलावट कर गलत ढंग से दबाव बनाने के लिए उक्त बेबुनियाद व झूठा दावा एवं प्रार्थना–पत्र पेश किया है। वादग्रस्त आराजी मौजा खारा ने नवीन खसरा संख्या 570 रकबा 5.59 हैक्टेयर में 3/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 4 जालमसिंह का बनता है तथा उक्त आराजी रिड़मलसिंह व वागसिंह से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के प्रतिफल की पूर्ण राशि अदा कर क्रय की थी मौके पर आज दिन तक अप्रार्थी संख्या 4 का कब्जा काश्त है । प्रार्थीयागण के उक्त प्रार्थना–पत्र में गलत इबारत लिखि है वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 4 की खरीदशुदा व कब्जा काश्त की होने से सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 4 को खरीदशुदा भूमि में उपयोग व उपभोग से रोका गया तो अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रार्थीयागण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने से प्रार्थीयागण अस्थायी निषेधाज्ञा पाने की हकदार नहीं होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें। मैनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन् व अवलोकन किया गया। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। :– आदेश :– अतः प्रार्थीयागण के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा–खारा की वादग्रस्त आराजी में पुराना खसरा संख्या 242 रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा, नवीन खसरा संख्या 570 रकबा 5.59 है भूमि अप्रार्थी संख्या 4 किसी को बेचान या हस्तान्तरण नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी संख्या 6 उक्त आराजी का पंजीयन नहीं करें एवं अप्रार्थी संख्या 5 राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) सांचौर सहायक कलक्टर एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर	